न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय,
मसूदा (अजमेर)
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 16/2017

1. ओमप्रकाश शर्मा
2. देवकरण
3. लक्ष्मण पिसरान श्री रामलाल शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज)

..................................प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र रघुनाथ उम्र बालिग
2. सोहनलाल पुत्र रघुनाथ उम्र बालिग
3. रतनलाल पुत्र रघुनाथ उम्र बालिग
समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
4. हेमराज पुत्र रामा
5. श्रीमती शारदा पुत्री स्व0 रामा
6. श्रीमती सीता पुत्री स्व0 रामा
7. श्रीमती सन्जु पुत्री स्व0 रामा
समस्त जाति माली, निवासी जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर
8. अमान पुत्र महाराम जाति रेबारी निवासी भैरू खेडा, जाति रेबारी निवासी भैरू खेडा
9. श्रीमती रूकमा पत्नि स्व0 महाराम जाति रेबारी निवासी भैरू खेडा,
10. श्री गुदडमल पुत्र थाना, जाति रेबारी निवासी भैरू खेडा।
11. श्री घेवरचन्द पुत्र हरकचन्द कोम महाजन, निवासी भैरू खेडा।
12. श्री भंवर पुत्र भोपाल बालिग जाति रेबारी निवासी भैरूखेडा।
13. श्री हनुमान पुत्र भोपाल जाति रेबारी उम्र बालिग, तहसील बिजयनगर राज
14. श्री गजानन्द पुत्र रामा
15. श्री गौकल पुत्र रामा
16. श्री राधाकिशन पुत्र रामा
समस्त ब्राहम्ण बालिग निवासी जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर

..................................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते आराजियत की पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित करवाने बाबत्
अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय पटवार मंडल जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 571 रकबा 04–17–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जालिया द्वितीय पटवार मंडल जालिया द्वितीयं की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 255 में ख0 न0 571 रकबा 04–17–00 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम जालिया द्वितीय स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 571 रकबा 04–17–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 29.5.18 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि० एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर)

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि० एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: